

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022—माघ 8, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं, राजेश कुमार घोषणा करता हूँ कि, मेरा घर का नाम मुकेश सिंह (Mukesh Singh) है जो कि मेरी पुत्री कुमकुम सिंह के पिता के नाम के स्थान पर उसके सभी शासकीय तथा अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज हो गया है, किंतु मेरा वास्तविक नाम राजेश कुमार (Rajesh Kumar) है जो कि सही व सत्य है तथा भविष्य में मेरी पुत्री के पिता का नाम मुकेश सिंह के स्थान पर राजेश कुमार लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कुमकुम सिंह पिता मुकेश सिंह)

(Kumkum Singh D/o Mukesh Singh)

(G-115)

नया नाम

(कुमकुम सिंह पिता राजेश कुमार)

(Kumkum Singh D/o Rajesh Kumar)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम शिवेश शर्मा था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203005496 में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे सुरेश शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम सुरेश शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा सुरेश शर्मा एवं शिवेश शर्मा मेरे ही नाम हैं अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203005496 में मेरा नाम शिवेश शर्मा के स्थान पर सुरेश शर्मा लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(शिवेश शर्मा)

(G-116)

नया नाम

(सुरेश शर्मा)

पता:— वार्ड नं. 07, आर्या समाज रोड, शिवपुरी, म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं, पंकज गुप्ता पुत्र श्री विशन स्वरूप गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का घर का बोलता नाम गुन गुप्ता (GUN GUPTA) था जो मेरी पुत्री की बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि मेरी पुत्री वर्तमान में मीनल गुप्ता (MEENAL GUPTA) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती है, तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड, पेन कार्ड व पासपोर्ट इत्यादि में उसका नाम मीनल गुप्ता लिखा गया है, मीनल गुप्ता और गुन गुप्ता दोनों मेरी पुत्री के ही नाम हैं एवं भविष्य में मेरी पुत्री मीनल गुप्ता के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जायेगी तथा हस्ताक्षर करती रहेगी. अतः मेरी पुत्री के बीमा पॉलिसी में उसका नाम गुन गुप्ता के स्थान पर मीनल गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(गुन गुप्ता)

नया नाम

(मीनल गुप्ता)

पंकज गुप्ता पुत्री श्री विसन सरूप गुप्ता (सूचनाकर्ता)

पता:- ग्वालियर ग्लोरी स्कूल के पीछे, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर.

(G-117)

नाम परिवर्तन

मैं, मानसिंह यादव आत्मज श्री राम प्रसाद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मानसिंह आत्मज श्री राम प्रसाद (Mansing S/o Ram Prasad) अंकित है जो कि संपूर्ण नहीं है. मेरा पूरा नाम मानसिंह यादव आत्मज श्री राम प्रसाद यादव (Mansing Yadav S/o Shri Ram Prasad Yadav) म.न.- 4695, लालघाटी बरेला गांव, तह. हुजूर, जिला भोपाल) से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम

(मानसिंह)

नया नाम

(मानसिंह यादव)

(G-118)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं सरिता अग्रवाल पूर्व में अपना कुलनाम "गर्ग" उपयोग करती थी इस कारण से सरिता गर्ग के नाम से जानी व पहचानी जाती थी तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सरिता गर्ग ही दर्ज है किन्तु अब मैं अपना (कुलनाम) उपनाम अग्रवाल उपयोग करती हूँ इस कारण सरिता अग्रवाल के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगी विदित हो.

पुराना नाम

(सरिता गर्ग)

नया नाम

(सरिता अग्रवाल)

(G-119)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र शर्मा आयु 60 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त निवासी कमल सिंह का बाग, बड़े कुएं के पास, शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर म. प्र. पर निवासरत हूँ, यहकि मेरी पत्नी श्रीमती जय श्री शर्मा का नाम मेरी पेंशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एवं पीपीओ में श्रीमती दीप्ती शर्मा अंकित है जो भूलवश हो गया है, यह कि मैं, अपनी पत्नी का नाम श्रीमती जय श्री शर्मा करवाना चाहता हूँ तथा अब मेरी पेंशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एवं पीपीओ में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती जय श्री शर्मा सुधार किया जाये.

पुराना नाम

(दीप्ती शर्मा)

नया नाम

(जय श्री शर्मा)

निवासी- कमल सिंह का बाग, बड़े कुएं के पास,

शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

(G-120)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं, जगदीश परतेती (Jagdeesh Parteti) घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम जगदीश Jagdeesh था जिसे परिवर्तित करते हुए मैंने अपना नाम जगदीश परतेती (Jagdeesh Parteti) कर लिया हूँ जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम जगदीश परतेती (Jagdeesh Parteti) से ही जाना एवं पहचाना जावे. साथ ही सभी शासकीय रिकार्ड एवं दस्तावेजों में जगदीश परतेती (Jagdeesh Parteti) ही अंकित समझा जावे.

पुराना नाम
(जगदीश)

नया नाम
(जगदीश परतेती)

(G-121)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रज्ञा जैन पत्नि श्री शान्तनु जैन का शादी के पूर्व प्रज्ञा साहू पुत्री श्री अच्छेलाल साहू निवासी द्वारिका बिहार तिली वार्ड, सागर म.प्र. के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं अंकसूचियों में जानी एवं पहचानी जाती थी.

अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम प्रज्ञा जैन पत्नि श्री शान्तनु जैन के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं अंकसूचियों में जाना, पहचाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(प्रज्ञा साहू)

नया नाम
(प्रज्ञा जैन)

पुत्री श्री अच्छेलाल साहू
निवासी द्वारिका बिहार कॉलोनी
तिली वार्ड, सागर (म.प्र.).

पत्नि श्री शान्तनु जैन
पता- वर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड,
सागर (म.प्र.).

(G-122)

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन गुप्ता पुत्र श्री विशन स्वरूप गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का घर का बोलता नाम शुभ गुप्ता (SHUB GUPTA) था जो मेरी पुत्र की बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि मेरा पुत्र वर्तमान में हर्ष गुप्ता (HARSH GUPTA) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है, तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में उसका नाम हर्ष गुप्ता लिखा गया है, हर्ष गुप्ता और शुभ गुप्ता दोनों मेरे पुत्र के ही नाम हैं एवं भविष्य में मेरा पुत्र हर्ष गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जायेगा तथा हस्ताक्षर करता रहेगा. अतः मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसी में उसका नाम शुभ गुप्ता के स्थान पर हर्ष गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(शुभ गुप्ता)

नया नाम
(हर्ष गुप्ता)

सचिन गुप्ता पुत्र श्री विसन सरूप गुप्ता (सूचनाकर्ता)
पता:- ग्वालियर ग्लोरी स्कूल के पीछे, हरीशंकरपुरम ग्वालियर.

(G-123)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा सही नाम अनिल गौड पिता विजय सिंह गौड है, किन्तु मेरी 8वीं की अंकसूची में पिता का नाम विजय सिंह गौड के स्थान पर बिजु सिंह गौड लिखा गया है. अतः पिताजी का सही नाम विजय सिंह गौड ही लिखा पढ़ा जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(अनिल गौड पिता बिजु सिंह गौड)

(अनिल गौड पिता विजय सिंह गौड)

(G-124)

पता:- चन्द्रलोक नगर, देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जगमोहन कुशवाह पुत्र श्री गोपाल सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम जगमन कुशवाह था जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे जगमोहन कुशवाह पुत्र श्री गोपाल सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम जगमोहन कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. जगमोहन कुशवाह एवं जगमन कुशवाह मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम जगमन कुशवाह के स्थान पर जगमोहन कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(जगमन कुशवाह)

(G-125)

नया नाम

(जगमोहन कुशवाह)

पता- 38, चिनौर, ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा बोलता नाम जितेन्द्र कुमार मानावत पिता फूल चंद मानावत (JITENDRA KUMAR MANAWAT S/o PHOOL CHAND MANAWAT) था जो मेरे शेरर सर्टिफिकेट पर भी दर्ज है पर मैंने अपना नाम बदलकर जिनेन्द्र कुमार मानावत कर लिया है जो मेरे दस्तावेजों जैसे आधार, पेन कार्ड, पासपोर्ट पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम जितेन्द्र कुमार मानावत एवं जिनेन्द्र कुमार मानावत एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम जिनेन्द्र कुमार मानावत पिता फूल चंद मानावत (JITENDRA KUMAR MANAWAT S/o PHOOL CHAND MANAWAT) से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हों.

पुराना नाम

(जितेन्द्र कुमार मानावत)

(G-126)

नया नाम

(जिनेन्द्र कुमार मानावत)

निवासी:- 8, ग्रीन पार्क कॉलोनी, हाईकोर्ट के पीछे इंदौर.

CHANGE OF NAME

I, Komal Anna Hiray, Father's Name Anna Hiray and Mother's Name- Kalpana Hiray which has been appeared in my 10th Class CBSE Board Certificate, age 22 years and residing at 34/3 Jamun Lines, The Mahar Regt Centre, Saugor (M.P.). I solemnly affirm and declare that my correct name is Komal Hiray, Father's Name Anna Namdeo Hiray and Mother's Name- Kalpana Anna Hiray as has been appeared in my other documents such as Aadhar Card, Pan Card, Birth Certificate & Passport etc, and the same may please be corrected in my 10th Class CBSE Board Certificate. Henceforth, my correct name and name of my father and mother as indicated above my please be endorsed and read.

Old Name

(Komal Anna Hiray)

(G-127)

New Name

(Komal Hiray)

नाम परिवर्तन

सूचित करती हूँ कि मुझे रचना ढोके के नाम से जाना जाता था जो कि मेरा नाम रचना पाटिल ढोके है. आज से मुझे रचना पाटिल ढोके, निवासी- ई-6, जे-262, जनता क्वार्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से जाना एवं पहचाना जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से अंकित किया जावे.

पुराना नाम

(रचना ढोके)

(RACHNA DHOKE)

(G-128)

नया नाम

(रचना पाटिल ढोके)

(RACHNA PATIL DHOKE)

नाम परिवर्तन

सूचित करता हूँ कि मुझे संजय ढोके के नाम से जाना जाता था जो कि मेरा नाम संजय कुमार ढोके है। आज से मुझे संजय कुमार ढोके, निवासी- ई-6, जे-262, जनता क्वार्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से जाना एवं पहचाना जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से अंकित किया जावे।

पुराना नाम
(संजय ढोके)
(SANJAY DHOKE)
(G-129)

नया नाम
(संजय कुमार ढोके)
(SANJAY KUMAR DHOKE)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल प्रसाद रजक पुत्र श्री सुन्दरलाल रजक, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- 1516, रतन कालोनी, गोरखपुर, फिनिक्स ग्रुप के सामने, गोरखपुर, जिला- जबलपुर म.प्र. 482001 शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ, कि यह कि मैं, दि. सेंट्रल रेल्वे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड शाखा जबलपुर में सीनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ यह कि मेरा नाम मुख्य कार्यालय दि. सेंट्रल रेल्वे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भायखला मुंबई (महाराष्ट्र) में त्रुटिवश गोपाल प्रसाद सुन्दरलाल दर्ज हो गया है। जबकि वास्तव में मेरा नाम गोपाल प्रसाद रजक है। यह कि मेरा नाम सुधारकर गोपाल प्रसाद सुन्दरलाल के स्थान पर गोपाल प्रसाद रजक किया जावे। क्योंकि मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम अंकित एवं सही है। यह कि मेरे द्वारा यह उक्त शपथ-पत्र अपने मुख्य कार्यालय दि. सेंट्रल रेल्वे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भायखला मुंबई (महाराष्ट्र) में सही नाम गोपाल प्रसाद रजक दर्ज करवाने बाबत आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुराना नाम
(गोपाल प्रसाद सुन्दरलाल)
(G-130)

नया नाम
(गोपाल प्रसाद रजक)

CHANGE OF NAME

This is informed to everyone that before my marriage, my name was Padma Sharma, father Mr. Jugal Kishore Sharma. After marriage this name has been changed to Padma Sihota wife of Praveer Sihota and from now onwards I will be known by my new name Padma Sihota.

Old Name
(PADMA SHARMA)
(G-131)

New Name
(PADMA SIHOTA)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन" रूम नं. 101 प्रथम मंजिल 49 जयराम कालोनी, इंदौर में स्थित है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी इंदौर में फर्म के रजिस्ट्रार में क्रमांक 03/27/03/00227/08 तथा सन् 2007-08 में पंजीकृत है। जिसमें पूर्व में सात साझेदार 1. श्री देवीलाल राजन पिता श्री सेवक राम राजन, 2. श्रीमती विमला राजन पति श्री देवीलाल राजन, 3. श्री विजय राजन पिता श्री देवीलाल राजन, 4. श्रीमती स्वाति राजन पति श्री विजय राजन, 5. श्री अमित राजन पिता श्री विजय राजन, 6. श्री दिलीप राठौर पिता श्री विष्णु प्रसाद राठौर, 7. श्री दीपक राठौर पिता श्री विष्णु प्रसाद राठौर थे जिसकी संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है। जिसमें श्री देवीलाल राजन की मृत्यु दिनांक 17 अगस्त 2019 को हो गयी है एवं श्रीमती विमला राजन पति स्वर्गीय श्री देवीलाल राजन अपनी स्वेच्छा से फर्म से 31 अगस्त 2021 को रिटायर हो गयी हैं। जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। अतः विधिवत सूचित हो।

(G-132)

मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन,
विजय राजन
(पार्टनर)
49, Jairampur colony, Indore (M.P.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S SHRINATH STONE ENTERPRISES स्थित पूर्व पता सी/ओ जैन फ्लोर मील नियर महेश होटल, डी. सेक्टर पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) वर्तमान पता:- MIG-127, विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00133-09, दिनांक 21-08-2009 है एवं दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को भागीदारी-

1. श्री अतुल वी. शालीग्राम आत्मज श्री वी.बी. शालीग्राम पता:- T-1 A-44, आदित्य अपार्टमेंट, सर्वधर्म भोपाल (म.प्र.)
2. श्रीमती शीला शालीग्राम पत्नी श्री वी.बी. शालीग्राम पता:- T-1 A-44, आदित्य अपार्टमेंट, सर्वधर्म भोपाल (म.प्र.)
3. श्री ओम प्रकाश डसोरा पिता श्री जी.एल. डसोरा पता:- 11/47, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

अपनी स्वेच्छा से पृथक (अलग) हो रहे हैं एवं

1. सुनील सिंह पिता श्री अजय लाल सिंह पता:- MIG-127, विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)
2. पारस सिंह पिता श्री सुनील सिंह पता:- MIG-127, विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

M/S SHRINATH STONE ENTERPRISES ,

ATUL V SHALIGRAM

(भागीदार)

(G-133)

MIG-127, विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एस.एम. एसोसिएट्स, 4 ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, ए.बी. रोड, मुरैना (म.प्र.) का पार्टनरशिप डीड दिनांक 15 मई 2021 एवं फर्म का पंजीयन क्रमांक 02-44-01-0058-21, दिनांक 16 जून 2021 को कार्यालय फर्म एवं सोसायटी ग्वालियर में भागीदार (1) प्रदीप कुमार गर्ग पुत्र श्री नवल किशोर गर्ग एवं (2) जय गर्ग पुत्र श्री प्रदीप कुमार गर्ग द्वारा पंजीकृत करायी गयी. समस्त भागीदारों की सहमति से दिनांक 21 जुलाई 2021 को संशोधित डीड अनुसार नये भागीदार क्रं. (3) शिव कुमार गुप्ता पुत्र श्री भीकम चन्द्र गुप्ता फर्म में सम्मिलित हुए एवं भागीदार (2) जय गर्ग पुत्र श्री प्रदीप कुमार गर्ग फर्म से दिनांक 21 जुलाई 2021 को स्वेच्छा से पृथक् हो गये.

पुनः संशोधित डीड दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अनुसार नये भागीदार श्रीमती रेनू अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार गुप्ता सर्वसहमति से सम्मिलित हो रहीं हैं एवं भागीदार (1) प्रदीप कुमार गर्ग पुत्र श्री नवल किशोर गर्ग फर्म से पृथक् हो रहे हैं.

अतः आज दिनांक 27 अक्टूबर 2021 से फर्म के कारोबार को निम्न भागदार ही संचालित करेंगे. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

- (1) श्री शिव कुमार गुप्ता एवं (2) श्रीमती रेनू अग्रवाल

एस.एम. एसोसिएट्स, मुरैना

शिव कुमार गुप्ता

(भागीदार)

(G-134)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी अभिलेख एस.एस. साल्यूशन्स पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0148-20, सन् 2020-2021, दिनांक 20 सितम्बर 2020 को कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल से पंजीकृत की गई हैं. जिसमें मुख्यतः पाँच भागीदार श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव पिता श्री विजय बहादुर श्रीवास्तव, श्री शिवा पटेल पिता श्री रूप सिंह पटेल, श्री सुनील पाण्डेय पिता श्री जी.सी. पाण्डेय, श्री प्रकाश सिंह पिता श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा श्री ध्रुव वर्मा पिता श्री अरविन्द वर्मा निवासी भोपाल है. जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 16 दिसम्बर 2020 को यह भागीदारी फर्म भंग कर दी गई है.

For S.S. SOLUTIONS

सुनील पाण्डेय

(भागीदार)

(G-135)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर महु, जिला इन्दौर

महु, दिनांक 4 जनवरी 2022

प्रारूप-तृतीय

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

प्र. क्र. 01-बी-113(1)-2021-22.-एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, डॉ. अम्बेडकर नगर महु, जिला इन्दौर के समक्ष यह कि आवेदक प्रबंधक "आरंभ स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउन्डेशन" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 जनवरी 2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :-

"अनुसूची"

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | लोक न्यास का नाम | : | आरंभ स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउन्डेशन |
| 2. | चल/अचल सम्पत्ति | : | कुछ नहीं. |
| 3. | पता | : | 115, सांघी स्ट्रीट महु, जिला इन्दौर. |

(G-136)

अक्षत जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं लोक न्यास, पंजीयक, अनुभाग लहार, जिला भिण्ड

लहार, दिनांक 6 जनवरी 2022

प्रारूप-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुभाग लहार, जिला भिण्ड के समक्ष,

प्र. क्र. 0001-ब-113-2021-22-1217.-यतः कि श्री शांतिदास गुरु श्री रामभूषणदास उर्फ संतोष सिंह, जाति बैरागी वैष्णव विरक्त साधू निवासी नदना, तहसील रौन, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन में वर्णित उद्देश्यों के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन दिया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 जनवरी 2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः मैं, अनुभाग लहार, जिला भिण्ड का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 28 जनवरी 2021 को उक्त अधिनियम के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :-

“अनुसूची”

1. लोक न्यास का नाम : श्री हनुमान सेवा न्यास जसावली सरकार, ग्राम नदना, तहसील रौन
2. लोक न्यास का पता : आश्रम ग्राम नदना, तहसील रौन
3. लोक न्यास की संपत्ति : अचल सम्पत्ति भूमि मौजा नदना, मूरतपुरा एवं ग्राम नदना में दो मंजिल मकान एवं प्रकरण में संलग्न सूची अनुसार चल सम्पत्ति.

(G-137)

आर.ए. प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी, इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 772- रीडर-1-2022.

जूनी, इन्दौर, दिनांक 10 जनवरी 2022

फार्म चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जया शांति कोठारी चेरिटेबल ट्रस्ट पता- 107/ए, अग्रवाल नगर, नवलखा पुलिस चौकी के पिछे, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

जया शांती कोठारी चेरिटेबल ट्रस्ट पता-107/ए, अग्रवाल नगर, नवलखा पुलिस चौकी के पीछे, इन्दौर

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-138)

अंशुल खरे, अनुभाग अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्पी क्षेत्र इन्दौर, मध्यप्रदेश

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक “ माँ भगवती चेरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट” पता रो. हाउस नम्बर 42, संजना पार्क, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास, बिचौली मर्दाना इन्दौर तर्फे संजय गुप्ता पिता रमेशचन्द्र गुप्ता द्वारा ट्रस्ट का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की

दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	" माँ भगवती चैरिटेबल हास्पिटल ट्रस्ट".
पता	:	रो हाउस नम्बर 42 संजना पार्क अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास बिचौली मर्दाना इन्दौर.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति निरंक है.
अचल संपत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-139)

विशाखा देखमुख, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र. क्र. 0002/बी-113-2021-22.-जैसा कि आवेदक डॉ. देवेन्द्र मिश्रा आ. स्व. श्री एम.पी. मिश्रा निवासी- भोपाल द्वारा "Suresh Mishra Foundation for Cultural and Historical Research" कार्यालय का पता सी-8 सुरेन्द्र गार्डन होशंगाबाद रोड भोपाल के पंजीयन किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क का चालान, डीड एवं शपथ-पत्र संलग्न कर मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2022 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

"अनुसूची"

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"Suresh Mishra Foundation for Cultural and Historical Research" द्वारा डॉ. देवेन्द्र मिश्रा आ.स्व.श्री एम.पी. मिश्रा पता सी-8 सुरेन्द्र गार्डन होशंगाबाद रोड भोपाल.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 07 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

क्षितिज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-140)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

दिनांक 17 जनवरी 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2022-Q.- उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्न लिखित सहकारी संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र. (1)	सहकारी संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक (4)
1	मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल	डी.आर.बी. 824/03-06-1999	3285/05-10-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम क्र.57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी/दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-141)

आर.के.शर्मा, सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 7 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्र.-परि.-2021-820.- सहायक रजिस्ट्रार (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, देवास से प्राप्त नोटशीट दिनांक 27 मई 2021 निम्नानुसार उल्लेखित 33 संस्थाओं का पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील होना सूचित किया गया है। उक्त स्थिति विवरण- पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा कोई कार्य व्यवसाय नहीं किया जा रहा है तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन में गत वर्ष के स्थिति विवरण-पत्रक की पुनरावृत्ति की जा रही है।

निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं के उनकी पंजीकृत उपविधि क्रमांक 03 में उल्लेखित प्रयोजनों की पूर्ति हेतु पंजीकृत किया गया था, परन्तु पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि निम्न संस्थाएं अकार्यशील होकर अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही हैं। उपरोक्त स्थिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 18 (क) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन समाप्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त किया जावे। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहता हो, तो दिनांक 22 सितम्बर 2021 को कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओं सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। निर्धारित समयावधि में जारी सूचना-पत्र का उत्तर अप्राप्त रहने अथवा प्राप्त उत्तर संतोषप्रद न होने की स्थिति में संस्था के पंजीयन निरस्ती की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

संस्थाओं के नाम जिनके पंजीयन निरस्ती कार्यवाही प्रस्तावित है, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्र व दिनांक
1.	मयूर बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. महूखेड़ा	1549 / 27.02.2015
2.	धर्मेश्वर बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. सतवास	1580 / 16.07.2015
3.	ऋण मुक्तेश्वर बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. सादीखेड़ा	1603 / 17.12.2015
4.	मौं तुलजा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. देवास	1236 / 12.07.2010
5.	अखेपुर बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. अखेपुर	1544 / 31.01.2015
6.	स्वामी विवेकानन्द बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. चिड़ावद	1531 / 19.01.2015
7.	निर्भय बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. बरूट	1601 / 16.11.2015
8.	बजरंग बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. गुनेरा	1220 / 23.05.2012
9.	देवनारायण बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. पिपल्या भचोड़	1289 / 12.12.2012
10.	श्रीसतीमता बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. सौंसर	1612 / 08.02.2016
11.	देवलक्ष्मी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. सादीपुरा	1626 / 06.06.2017
12.	श्रीश्याम बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. दण्ड देवनालिया	1617 / 25.06.2016
13.	श्री हरि बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. चांसिया	1555 / 13.03.2015
14.	अनन्त बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. दावठा	1545 / 02.02.2015
15.	नवनीत बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. सोनखेड़ी	1582 / 16.07.2015
16.	श्रीबालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. ग्यारसपुरा	1599 / 20.10.2015
17.	मौं वसुन्धरा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. कमलापुर	1541 / 28.01.2015
18.	वसुन्धरा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. खूटखेड़ा	1543 / 29.01.2015
19.	सीताराम बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. नानूखेड़ा	1604 / 17.02.2015
20.	श्रीछाया बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. दोन्ताजागीर	1611 / 29.01.2016
21.	सम्यक बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या. रिछी	1593 / 03.08.2015
22.	राज महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित देवास	928 / 07.03.2001
23.	सखी सहेली साख सहकारी संस्था मर्यादित देवास	1621 / 28.12.2016
24.	पी.जे.बी साख सहकारी संस्था मर्या देवास	1614 / 30.06.2016
25.	कमला महिला कड़कनाथ कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या. आनंदनगर	1662 / 09.04.2018
26.	विषाल कड़कनाथ कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या. पांजरिया	1634 / 09.03.2016
27.	कंचन कड़कनाथ कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या. सिवनपानी	1629 / 18.09.2017
28.	सीतावन महिला कड़कनाथ कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या. रामपुरा	1633 / 20.02.2018
29.	एकलव्य मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. हीरापुर	1185 / 16.07.2007
30.	न्यू किस्सन जैविक खाद उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोरखेड़ी धाकड़	1632 / 25.01.2018
31.	दीनदयाल अन्त्योदय बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. सुनवानी गोपाल	1636 / 21.03.2018
32.	श्री नृसिंह वृक्षारोपण सहकारी संस्था मर्या. हाटपिपल्या	1624 / 21.03.2017
33.	जय मौं नर्मदे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. चांदगढ़	1375 / 10.09.2013

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज 7 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त सागर, मध्यप्रदेश

इमारती काष्ठ, जसाऊ काष्ठ एवं बांस के परिवहन हेतु संक्षिप्त निविदा/नीलाम सूचना की विज्ञापित वर्ष 2021-22

सागर वन वृत्त के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर में बीना परियोजना के अंतर्गत विदोहन से प्राप्त एवं आंधी तूफान से उखड़े वृक्षों की इमारती काष्ठ/ काष्ठ जलाऊ को निर्धारित डिपो तक परिवहन करने हेतु परिवहन समूहों की निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्राप्त निविदा वन वृत्त कार्यालय सागर में निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.	निविदा चक्र	संबंधित वनमंडल कार्यालय (उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर) में निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	वृत्त कार्यालय सागर में निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1.	प्रथम निविदा	दिनांक 13.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 13.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
2.	द्वितीय निविदा	दिनांक 17.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 17.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
3.	तृतीय निविदा	दिनांक 21.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 21.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
4.	नीलाम परिवहन समूह अवशेष रहने की स्थिति में।	दिनांक 21.01.2022 को शाम 04:00 बजे से, वृत्त कार्यालय सागर में।	

निविदा की शर्तें परिवहन समूहों की सूची, टेण्डर फार्म एवं निविदा से संबंधित अन्य जानकारियों निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से संबंधित वनमंडल के कार्यालय में कार्यलयीन दिवस व समय पर प्राप्त की जा सकती है। परिवहन समूह की विस्तृत जानकारी तथा निविदा फार्म विभागीय वेबसाइट (<https://mpforest.gov.in>) पर भी उपलब्ध रहेगी। टेण्डर फार्म वेबसाइट से सीधे डाउनलोड करने पर रु. 100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/सी.डी. आर. जो संबंधित वनमंडल अधिकारी, उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर के नाम पर देय होगा, जमा करना होगा। निविदाकार के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। निविदाकार/बोलीदार को रु. 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) सत्यकार EMD की राशि जमा करने होगी।

निविदा/नीलाम के संबंध में अन्य जानकारी उत्तर वनमंडल सागर के कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07582-236337 एवं दक्षिण वनमंडल सागर के कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07582-236215 से ली जा सकता है एवं विभागीय वेबसाइट (<https://mpforest.gov.in>) पर भी देखी जा सकती है।

संक्षिप्त निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये पृथक-पृथक निविदा निर्धारित फार्म में जमा करना होगी।
2. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये निविदा के साथ सत्यकार के रूप में रु. 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/सी.डी.आर. संबंधित वनमंडल अधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर के पक्ष में संलग्न करना होगा।
3. निविदाकार को प्रत्येक समूह में 600 घ.मी. इमारती लकड़ी, 1500 जलाऊ चट्टे के लिये कम से कम एक ट्रक परिवहन कार्य में लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। जो निविदाकार के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण-पत्र के लिये आर.टी.ओ. का पंजीयन तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं वाहन के बीमा के कागजात संलग्न करना होगा।

4. परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह डिपो में परिवहन किये गये जलाऊ चट्टे निधोरंत आकार में बनाकर देना होगा।
5. परिवहनकर्ताओं को परिवहन समूह में अनुमानित मात्रा से अधिकतम 125 प्रतिशत तक वनोपज की मात्रा का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा की विस्तृत शर्तों, परिवहन समूह की सूची तथा परिवहन कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर से किसी भी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार के द्वारा प्रत्येक निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
7. निविदा में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
8. परिवहनकर्ता हमाल रजिस्टर रखेंगे एवं हमालो की सूची संग्रहण करेंगे व सूची श्रम न्यायालय में देना होगा।
9. निविदाकार एक समूह के लिये पूरे मध्यप्रदेश में एक ही वाहन रखेगा।

(G-143)

अमित कुमार दुबे, मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022—माघ 8, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)